

[ प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 1-4-1987  
में प्रकाशित हुआ ]

विधायी प्रारूपण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 1987

संख्या प. 2 (8) विधायी/87.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 1987 ई. को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

## राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्या 7)

[ राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 1987 को प्राप्त हुई ]

वित्त वर्ष 1987-88 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान विक्रय-कर अधिनियम, 1954, राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 और राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए तथा कतिपय अन्य परिवर्तन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

### अध्याय-I

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987

है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.—राजस्थान अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस अधिनियम की धारा 18 उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगी।

## अध्याय-II

### राजस्थान विक्रय-कर अधिनियम, 1954 में संशोधन

3. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 2 का संशोधन.—राजस्थान विक्रय-कर अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 29), जिसे इस अध्याय में आगे विक्रय-कर अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ड) में, अभिव्यक्ति ““संविदा”” के स्थान पर अभिव्यक्ति ““संविदा या कार्य-संविदा”” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ण) “विक्रय” और उसके समस्त व्याकरणिक रूप-भेदों और सजातीय पदों से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कारबार के अनुक्रम में नकद या आस्थगित संदाय अथवा अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण (बन्धक, आडमान, प्रभार या गिरबी से अन्यथा) अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है —

- (i) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति का, किसी संविदा के अनुसरण से अन्यथा, कोई अन्तरण;
- (ii) किसी संविदा या कार्य-संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में किया गया माल में सम्पत्ति (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) का कोई अन्तरण;
- (iii) अवक्रय या किस्तों द्वारा संदाय की अन्य पद्धति पर माल का कोई परिदान;
- (iv) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का कोई अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हो या नहीं);
- (v) व्यक्तियों के किसी भी अनिगमित संगम या निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए माल का कोई प्रदाय;
- (vi) मानव उपभोग के लिए माल, जो कि खाद्य या कोई भी अन्य वस्तु हो या किसी भी पेय (चाहे वह मादक हो या नहीं) का, किसी भी सेवा के

रूप में या उसके भाग के रूप में अथवा किसी भी अन्य रीति से कोई प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो—

और ऐसा अन्तरण, परिदान या प्रदाय कोई विक्रय समझा जायेगा और शब्द “क्रय” या “खरीद” का अर्थ तदनुसार ही लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण.—यदि माल में सम्पत्ति का कोई अन्तरण केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74) की धारा 4 की उप-धारा (2) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो वह राज्य के भीतर किया हुआ समझा जायेगा; ”;

(ग) खण्ड (त) में,—

- (i) शब्दों “अभिप्रेत है जो” और शब्दों “विक्रय के प्रतिफल” के बीच में आय शब्द “किसी माल के” हटा दिया जायेगा;
- (ii) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु किसी अवक्रय-करार के मामले में उस तारीख को, जबकि माल ऐसे करार के अधीन अन्तरित किया गया था, माल का बाजार मूल्य माल का विक्रय-मूल्य समझा जायेगा; ”; और

- (iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि किसी कार्य-संविदा के संबंध में विक्रय-मूल्य वह रकम होगी जो उसके निष्पादन के संबंध में संदेय हो, जिसमें सम्पूर्ण माल का मूल्य और ऐसे निष्पादन में अन्तर्वलित मजदूरी तथा अन्य प्रभार सम्मिलित हैं; ”; और

(घ) खण्ड (न) में,—

- (i) प्रथम परन्तुक के ठीक पूर्व आयी विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“ “पण्यावर्त” से किसी व्यवहारी के द्वारा, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी भी रीति से किसी विक्रय, अन्तरण, परिदान या प्रदाय के लिए प्राप्त या प्राप्य विक्रय मूल्यों की कुल रकम अभिप्रेत है : ”; और

- (ii) स्पष्टीकरण (i) में अभिव्यक्ति “किसी संविदा” और अभिव्यक्ति “के संबंध में” के बीच में अभिव्यक्ति “या किसी कार्य-संविदा” और



अभिव्यक्ति “मजदूरी पर हुए खर्च” और अभिव्यक्ति “को कम करने के बाद” के बीच में अभिव्यक्ति “जो कि विहित किया जाये,” अन्तःस्थापित की जायगी।

4. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 में नयी धारा 5 ककक का अन्तःस्थापन.—  
विक्रय-कर अधिनियम की धारा 5-कक के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 5-ककक अन्तःस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

“5-क क क . कतिपय करों के उद्ग्रहण और संग्रहण का विधिमान्यकरण.—(1) किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, विनिश्चय या आदेश में किसी बात के होते हुए भी 2 फरवरी, 1983 से राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ की तारीख तक की कालावधि के संबंध में धारा 2 के खण्ड (ण) के उप-खण्ड (vi) में यथानिर्दिष्ट प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत या संगृहीत, या उद्गृहीत या संगृहीत किये जाने के लिए तात्पर्यित सभी कर सभी प्रयोजनों के लिए सर्व विधिमान्य रूप से ऐसे उद्गृहीत या संगृहीत किए हुए समझे जायेंगे मानो उक्त उप-खण्ड (vi) उन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था जब ऐसा कर उद्गृहीत या संगृहीत किया गया था।

(2) कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही ऐसे कर के, जो कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, प्रतिदाय के लिए किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में चलायी या चाल रखी नहीं जायेगी और कोई भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण किसी भी ऐसे निर्णय, विनिश्चय या आदेश को प्रवर्तित नहीं करायेंगा जिसके द्वारा किसी ऐसे कर की रकम के प्रतिदाय का निदेश दिया गया था।”।

5. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 5-ड का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 5-ड में,—

(क) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

“(4) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उसकी उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधधीन रहते हुए प्रत्येक व्यवहारी, जिसके पण्यावर्त में धारा 2 के खण्ड (ण) के उप-खण्ड (iv) में यथानिर्दिष्ट किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में विक्रयों से सम्बन्धित पण्यावर्त सम्मिलित है, ऐसे विक्रयों के प्रत्येक अवसर से संबंधित पण्यावर्त पर दस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचित की जाये, इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करेगा और भिन्न-भिन्न माल या माल के वर्गों अथवा व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।”; और

(ख) विद्यमान उप-धारा (4) उप-धारा (5) के रूप में पुनः संख्यांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के अधीन कोई अधिसूचना जारी होने पर उक्त उप-धाराओं में निर्दिष्ट विक्रयों के संबंध में कोई भी कर धारा 5 के अधीन संदेय नहीं होगा।”

6. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 5-ज का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 5-ज की उप-धारा (1) में, शब्दों “संदेय कर की राशि पर” और शब्दों “की दर से अधिभार” के बीच आये शब्दों “दस प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “बीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 7-कक का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 7-कक में अभिव्यक्ति “दस रुपये प्रति दिन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “उन मामलों में, जहां पर धारा 7 की उप-धारा (2क) के अधीन प्रत्येक मास संदत्त किया जाना अपेक्षित है, दस रुपये प्रतिदिन और अन्य सभी मामलों में पांच रुपये प्रतिदिन” और अभिव्यक्ति “व्यतिक्रम” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम” प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 9 का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में विद्यमान खण्ड (क) और खण्ड (ख) क्रमशः खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ख) के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(क) ऐसी फर्म, कुटुम्ब या संगम का उक्त फर्म, कुटुम्ब या संगम के संपूर्ण माल से संबंधित पण्यावर्त और ऐसी फर्म, कुटुम्ब या संगम की अन्य वस्तुओं के व्ययन के संबंध में संदेय कर का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकेगा मानो ऐसा कोई भी विघटन, बंद होना या विभाजन नहीं हुआ हो और इस अधिनियम के समस्त उपबंध तदनुसार ही लागू होंगे;”

9. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 10-ख का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 10-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में विद्यमान शब्द “गांच” के स्थान पर शब्द “चार” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 11-ख का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 11-ख में,—

(क) उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में अभिव्यक्ति “10-क” और अभिव्यक्ति “13 या 14” के बीच में अभिव्यक्ति “12,” अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) जहां कहीं भी शब्द “तीन मास की कालावधि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा तत्पश्चात् संदाय करने की तारीख तक डेढ़ प्रतिशत” आये हों उनके स्थान पर शब्द “संदाय करने की तारीख तक दो प्रतिशत” और जहां कहीं भी शब्द “तीन मास की कालावधि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा तत्पश्चात् परिणाम स्थिरीकरण की तारीख तक डेढ़ प्रतिशत” आये हों, उनके स्थान पर शब्द “परिणाम स्थिरीकरण की तारीख तक दो प्रतिशत” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।



11. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 14 का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) में अंकों "180" के स्थान पर अंक "365" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

12. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 16 का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीत गयी है," के पश्चात् विद्यमान शब्द "या" सदैव से हटाया हुआ और निम्नलिखित सदैव से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के अधीन का कोई अपराध तब तक चालू रहने वाला अपराध समझा जायेगा जब तक कि संदाय नहीं कर दिया जाता है; या" ।

13. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 22 का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) में, शब्दों "उक्त किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति को ऐसे किसी भी माल को अभिगृहीत करने की शक्ति प्राप्त होगी" के स्थान पर शब्द "उक्त कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति ऐसे किसी माल को अभिगृहीत कर सकेगा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

14. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 22-कक का संशोधन.— विक्रय-कर अधिनियम की धारा 22-कक में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में विद्यमान शब्दों "और माल का परिवहन करने वाले व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "और दलालों" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (1), (2) और (3) में, जहां कहीं भी शब्द "या राज्य के भीतर या बाहर माल का परिवहन करने वाला कोई भी व्यक्ति" और शब्द "या राज्य के भीतर या बाहर माल का परिवहन करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति" आये हों उन्हें हटा दिया जायेगा; और

(ग) स्पष्टीकरण का खण्ड (ii) हटा दिया जायेगा ।

15. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 में नयी धारा 22-ग का अंतःस्थापन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 22-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"22-ग. घोषणा से राज्य में माल का आयात.—(1) कोई भी व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के भीतर उपयोग, उपभोग या व्ययन के लिए एक हजार रुपये या इससे अधिक मूल्य का राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित कोई माल राज्य के बाहर से लाता है, आयात करता है या अन्यथा प्राप्त करता है उस क्षेत्र पर जहां उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं हो तो वहां जहां वह सामान्यतः निवास करता है, अधिकारिता रखने

वाले निर्धारण प्राधिकारी से, विहित फीस के संदाय पर घोषणा का विहित प्ररूप अभि-प्राप्त करेगा :

परन्तु जहां कोई आयातकर्ता ऐसा माल कारबार के संबंध में से अन्यथा लाता है, आयात करता है या अन्यथा प्राप्त करता है वहां वह, अपने विकल्प पर, घोषणा का विहित प्ररूप अभिप्राप्त कर सकेगा और जहां वह घोषणा का ऐसा प्ररूप अभि-प्राप्त करने में विफल रहता है वहां यह उपधारित किया जायेगा कि ऐसा माल ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर खरीदा गया है ।

(2) घोषणा का ऐसा प्ररूप माल के साथ ले जाया जायेगा और धारा 22-क के अधीन विहित अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ प्रवेश जांच चौकी पर प्रस्तुत किया जायेगा और उक्त धारा के उपबंध ऐसे आयात पर लागू होंगे ।”

16. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 23 का संशोधन.—विक्रय-कर अधि-नियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “12%” के स्थान पर अभिव्यक्ति “24%” प्रतिस्थापित की जायेगी ।

17. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की धारा 26 का संशोधन.—विक्रय-कर अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) में विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(गग) संविदा या कार्य-संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में किये गये माल में सम्पत्ति के अन्तरण (चाहे वह मात्र के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के लिए व्यवहारी को संदेय रकम का अवधारण;” ।

18. 1954 के राजस्थान अधिनियम 29 की अनुसूची का संशोधन.—विक्रय-कर अधि-नियम से संलग्न अनुसूची में,—

- (क) क्रम संख्या 2 में, विद्यमान प्रविष्टि “(ख) गन्ना” हटा दी जायेगी; और
- (ख) क्रम संख्या 3 में, विद्यमान प्रविष्टि में आये शब्द “ताजा दूध (चाहे पूर्ण वसायुक्त हो या उसमें से वसातत्व निकाल लिए गये हों या कम कर दिये गये हों या)” हटा दिये जायेंगे ।

### अध्याय-III

#### राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

19. 1962 के राजस्थान अधिनियम 12 की धारा 3 का संशोधन.—राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम 12) की धारा 3 में अभि-व्यक्ति “उपभूक्त ऊर्जा पर” और अभिव्यक्ति “प्रति यूनिट से अनधिक ऐसी दर” के बीच में आयी अभिव्यक्ति “6 नये पैसे” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दस पैसे” प्रतिस्थापित की जायेगी ।

## अध्याय-IV

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 में संशोधन

20. 1952 के राजस्थान अधिनियम 7 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन.—राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 7) से संलग्न द्वितीय अनुसूची में,—

- (i) सं. 1 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) सं. 2 में,—
  - (क) स्तम्भ 1 में विद्यमान खण्ड (क) और (ख) हटा दिये जायेंगे; और
  - (ख) स्तम्भ 2 में, खण्ड (क) और (ख) के सामने की विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—  
 “बन्धपत्र के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए अधिकतम 50 रुपये के अध्वधीन रहते हुए पांच रुपये।”;
- (iii) सं. 3 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “तीस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (iv) सं. 4 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (v) सं. 5 के स्तम्भ 2 में,—
  - (क) खण्ड (क) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
  - (ख) खण्ड (ख) के सामने, अभिव्यक्ति “एक रुपया, अधिकतम तीस रुपये तक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पांच रुपये, अधिकतम एक सौ रुपये तक” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (ग) खण्ड (ग) के सामने शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (vi) सं. 6 के स्तम्भ 1 और 2 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—  
 “6. हक विलेखों के निक्षेप, पणयम या गिरवी से संबंधित करार—अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत—  
 (1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी सम्पत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है या है; या



- (2) जंगम सम्पत्ति का पणयम या गिरवी जहां कि ऐसा निक्षेप, पणयम या गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है—
- (क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्षित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है—
- |       |   |  |
|-------|---|--|
| (i)   | जहां उधार या ऋण की रकम 1200/- रु. से अधिक न हो;   | पांच रुपये   |
| (ii)  | जहां वह 1200/- रु. से अधिक हो किन्तु 5,000/- रु. से अधिक न हो;  | पन्द्रह रुपये  |
| (iii) | जहां वह 5,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 10,000/- रु. से अधिक न हो;                                      | तीस रुपये  |
| (iv)  | जहां वह 10,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 30,000/- रु. से अधिक न हो;                                     | पचासी रुपये  |
| (v)   | जहां वह 30,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 50,000/- रु. से अधिक न हो; और                                  | एक सौ पच्चीस रुपये                                       |
| (vi)  | जहां वह 50,000/- रु. से अधिक हो वहां 50,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 10,000/- रु. या उसके भाग के लिए; और | तीस रुपये  |
| (ख)   | यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक समय में प्रतिसंदेय नहीं है।                   | प्रतिभूत रकम के लिए खण्ड (क) के अधीन संदेय शुल्क का आधा। |

छूटें

कृषि उपज के पणयम या गिरवी की लिखतें यदि अनुप्रमाणित न की गई हों।”;

- (vii) सं. 7 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “अड़तीस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (viii) सं. 8 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों “सैंतीस रुपये पचास पैसे” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ix) सं. 9 के स्तम्भ 2 में शब्दों “पन्द्रह रुपये” के स्थान पर शब्द “बीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(X) सं. 10 के स्तम्भ 1 और 2 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“10. कम्पनी के संगम अनुच्छेद,—

- |  |                |
|--|----------------|
| (i) जहां अंश पूंजी 1 लाख रु. से अधिक न हो;   | दो सौ रुपये    |
| (ii) जहां वह 1 लाख रु. से अधिक हो किन्तु 5 लाख रु. से अधिक न हो;                                 | एक हजार रुपये  |
| (iii) जहां वह 5 लाख रु. से अधिक हो किन्तु 20 लाख रु. से अधिक न हो; और                            | तीन हजार रुपये |
| (iv) जहां वह 20 लाख रु. से अधिक हो वहां 20 लाख रु. से ऊपर प्रत्येक 5 लाख रु. या उसके भाग के लिए। | एक हजार रुपये  |

छूट

ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया है और जो कम्पनी अधिनियम, 1955 की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।”;

(Xi) सं. 12 के स्तम्भ 2 में खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों “सैंतीस रुपये पचास पैसे” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(Xii) सं. 15 के स्तम्भ 1 और 2 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“15. धारा 2 की उप-धारा (5) में यथापरिभाषित बन्ध-पत्र जो डिबेन्चर न हो और जो इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7), जैसा कि राजस्थान के लिए अनुकूलित किया गया है, द्वारा उपबन्धित से अन्यथा न हो,—

- |   |              |
|---|--------------|
| (i) जहां प्रतिभूत रकम या मूल्य 100/- रु. से अधिक न हो;  | पांच रुपये   |
| (ii) जहां वह 100/- रु. से अधिक हो किन्तु 500/- रु. से अधिक न हो;  | दस रुपये     |
| (iii) जहां वह 500/- रु. से अधिक हो किन्तु 1,000/- रु. से अधिक न हो;   | तीस रुपये    |
| (iv) जहां वह 1,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 50,000/- रु. से अधिक न हो वहां 1,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए; | पच्चीस रुपये |

- (v) जहां वह 50,000/- रु. से अधिक हो वहां 50,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए। तीस रुपये
- (xiii) सं. 17 के स्तम्भ 2 में, शब्दों "बारह रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xiv) सं. 18 के स्तम्भ 2 में,—
- (क) खण्ड (क) के सामने शब्दों "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने शब्दों "पिचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (XV) सं. 22 के स्तम्भ 2 में, शब्दों "चौत्तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पैंतालीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xvi) सं. 23 के स्तम्भ 1 और 2 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
- "23. धारा 2 की उप-धारा (10) में यथापरिभाषित हस्तान्तरण-पत्र,—
- |  |                |
|--|----------------|
| (i) जहां बाजार मूल्य 200/- रु. से अधिक न हो;   | पन्द्रह रुपये  |
| (ii) जहां वह 200/- रु. से अधिक हो किन्तु 500/- रु. से अधिक न हो;   | पैंतीस रुपये   |
| (iii) जहां वह 500/- रु. से अधिक हो किन्तु 1,000/- रु. से अधिक न हो;  | सत्तर रुपये    |
| (iv) जहां वह 1,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 10,000/- रु. से अधिक न हों, 1,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए;     | पैंतालीस रुपये |
| (v) जहां वह 10,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 25,000/- रु. से अधिक न हो, 10,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए;     | पचपन रुपये     |
| (vi) जहां वह 25,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 50,000/- रु. से अधिक न हो, 25,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए; और | सत्तर रुपये    |
| (vii) जहां वह 50,000/- रु. से अधिक हो वहां 50,000/- रु. से ऊपर प्रत्येक 500/- रु. या उसके भाग के लिए।                                | पचासी रुपये    |



छूट

भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन की गई प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन ।”;

(xvii) सं. 24 के स्तम्भ 2 में,—

(क) खण्ड (i) के सामने, शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और

(ख) खण्ड (ii) के सामने, शब्दों “तीन रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xviii) सं. 25 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों “तीन रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xix) सं. 25-क के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों “बीस रुपये” के स्थान पर शब्द “पच्चीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xx) सं. 26 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों “पच्चीस रुपये” के स्थान पर शब्द “पैंतीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xxi) सं. 28 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xxii) सं. 29 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “आठ रुपये” के स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xxiii) सं. 35 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ग) के सामने शब्दों “तब ऐसे पट्टे पर शुल्क” के पश्चात् आये शब्दों “एक रुपये पचास पैसे” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xxiv) सं. 38 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “तेईस रुपये” के स्थान पर शब्द “तीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(xxv) सं. 39 के स्तम्भ 2 में,—

(क) खण्ड (क) के सामने शब्दों “अड़सठ रुपये” के स्थान पर शब्द “पचासी रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और

(ख) खण्ड (ख) के सामने शब्दों “दो सौ पच्चीस रुपये” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ; अर्थात्:—

“वही शुल्क जो कम्पनी की अंश पूंजी से संबंधित संगम के अनुच्छेदों (सं. 10) पर लगता है ।”;

(xxvi) सं. 40 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ग) के सामने, जहां कहीं भी शब्द “एक रुपया” आये हों उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(XXvii) सं. 41 के स्तम्भ 2 में,—

- (क) खण्ड (क) के सामने, जहां कहीं भी शब्द “पच्चीस पैसे” आये हों उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, जहां कहीं भी शब्द “पचास पैसे” आये हों उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(XXviii) सं. 42 के स्तम्भ 2 में, शब्दों “तीन रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(XXix) सं. 43 के स्तम्भ 2 में,—

- (क) खण्ड (क) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, अभिव्यक्ति “एक रुपया, अधिकतम बीस रुपये तक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पांच रुपये, अधिकतम पैंतीस रुपये तक ” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(XXX) सं. 45 के स्तम्भ 2 के परन्तुक में,—

- (क) खण्ड (क) में, शब्दों “किन्तु वह” के पश्चात् आये शब्दों “दो रुपये पच्चीस पैसे ” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ग) में, शब्दों “वहां ऐसी लिखत पर शुल्क” के पश्चात् आये शब्दों “दो रुपये पच्चीस पैसे” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(XXXi) सं. 46 के स्तम्भ 2 में,—

(क) खण्ड (क) में,—

- (i) उप-खण्ड (क) के सामने, शब्दों “बारह रुपये” के स्थान पर शब्द “पन्द्रह रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ii) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों “पैंतालीस रुपये” के स्थान पर शब्द “साठ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों “तेईस रुपये” के स्थान पर शब्द “तीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(XXXii) सं. 48 के स्तम्भ 2 में,—

- (क) खण्ड (क) के सामने, शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों “तीन रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

- (ग) खण्ड (ग) के सामने, शब्दों "बारह रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (घ) खण्ड (घ) के सामने, शब्दों "तेईस रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ङ) खण्ड (च) के सामने, शब्दों "प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिये" के पश्चात् आये शब्दों "तीन रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxiii) सं. 50 के स्तम्भ 2 में, शब्दों "तीन रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxiv) सं. 54 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों "पैंतालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "साठ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxv) सं. 55 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxvi) सं. 57 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxvii) सं. 58 के स्तम्भ 2 में,—
- (क) खण्ड (क) के सामने, शब्दों "जहां ऐसी लिखत पर शुल्क" के पश्चात् आये शब्दों "एक रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों "किन्तु जो" के पश्चात् आये शब्दों "बाईस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "तीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxviii) सं. 61 के स्तम्भ 2 में, खण्ड (ख) के सामने आये शब्दों "बारह रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (xxxix) सं. 64 के स्तम्भ 2 में,—
- (क) खण्ड (क) के सामने, शब्दों "किन्तु यह" के पश्चात् आये शब्दों "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "चालीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (ख) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों "किन्तु वह" के पश्चात् आये शब्दों "बाईस रुपये पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "तीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (xl) सं. 65 के स्तम्भ 2 में, शब्दों "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।



## अध्याय-V

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 में संशोधन

21. 1961 के राजस्थान अधिनियम 23 की अनुसूची 2 का संशोधन.—राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम 23) से संलग्न अनुसूची 2 में,—

- (i) अनुच्छेद 1 के स्तम्भ 3 में, जहां कहीं भी शब्द “दस रुपये” और शब्द “बीस रुपये” आये हों, उनके स्थान पर शब्द “एक सौ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) अनुच्छेद 3 के स्तम्भ 3 में,—
  - (क) खण्ड (i) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
  - (ख) खण्ड (ii) के सामने, शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “बीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
  - (ग) खण्ड (iii) में,—
    - (i) उप-खण्ड (1) (क) के सामने, शब्दों “दस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
    - (ii) उप-खण्ड (1) (ख) के सामने, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “पच्चीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
    - (iii) उप-खण्ड (2) (क) के सामने, शब्दों “दस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
    - (घ) खण्ड (iv) के सामने, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (iii) अनुच्छेद 5 के स्तम्भ 3 में, जहां कहीं भी शब्द “एक रुपया” और शब्द “दो रुपये” आये हों, उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (iv) अनुच्छेद 6 के स्तम्भ 3 में, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “दो रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (v) अनुच्छेद 7 के स्तम्भ 3 में, शब्दों “एक रुपया” और शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (vi) अनुच्छेद 9 के स्तम्भ 3 में, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(vii) अनुच्छेद 10 के स्तम्भ 3 में,—

- (क) खण्ड (क) (i) के सामने, शब्दों “तीन रुपये” के स्थान पर शब्द “पच्चीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ख) खण्ड (क) (ii) के सामने, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ग) खण्ड (ख) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (घ) खण्ड (ग) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ङ) खण्ड (घ) (i) के सामने, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (च) खण्ड (घ) (ii) के सामने, शब्दों “एक रुपया” के स्थान पर शब्द “पांच रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (छ) खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) के सामने, जहां कहीं भी शब्द “एक रुपया” आये हों, उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” और जहां कहीं भी शब्द “दो रुपये” आये हों उनके स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(viii) अनुच्छेद 11 के स्तम्भ 3 में,—

- (क) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) के सामने, जहां कहीं भी शब्द “एक रुपया” आये हों उनके स्थान पर शब्द “पांच रुपये” और जहां कहीं भी शब्द “पांच रुपये” आये हों उनके स्थान पर शब्द “दस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ख) खण्ड (ट) के सामने, शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “दस रुपये” और शब्दों “दस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ग) खण्ड (त) के सामने, शब्दों “पांच रुपये” के स्थान पर शब्द “पच्चीस रुपये” और शब्दों “दस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (घ) खण्ड (द) के सामने, शब्दों “पच्चीस रुपये” के स्थान पर शब्द “एक सौ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ङ) खण्ड (घ) के सामने, शब्दों “दो रुपये” के स्थान पर शब्द “पच्चीस रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (च) खण्ड (न) के सामने, शब्दों “दस रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” शब्दों “पच्चीस रुपये” के स्थान पर शब्द “एक सौ रुपये” और शब्दों “पचास रुपये” के स्थान पर शब्द “दो सौ पचास रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

- (ix) अनुच्छेद 16 के स्तम्भ 3 में, जहां कहीं भी शब्द "एक रुपया" आये हों उनके स्थान पर शब्द "दो रुपये" और शब्दों "दो रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और
- (x) अन्तिम प्रविष्टि में आये शब्द "केवियट" के सामने स्तम्भ 3 में आये शब्दों "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

एस. आर. भंसाली,  
शासन सचिव।

## LEGISLATIVE DRAFTING DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 1987.

No.F. 2(8) Vidhai/87.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitta Adhiniyam, 1987 (Adhiniyam San-khya 7 San 1987) :—

(English Translation)

### THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 1987

(Act No. 7 of 1987)

(Received the Assent of the Governor on the 30th day of March, 1987)

An  
Act

furth~~er~~ to amend the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952, and the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for the Financial Year 1987-88 and to make certain other changes.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

#### CHAPTER—I

##### Preliminary

1. *Short title.*—This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 1987.

2. *Declaration under section 3, Rajasthan Act 23 of 1958.*—In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Rajasthan Act 23 of 1958), it is hereby declared that it is expedient in public interest that section 18 of this Act shall have immediate effect, under the said Act.

#### CHAPTER—II

##### *Amendment in the Rajasthan Sales Tax Act, 1954.*

3. *Amendment of section 2, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In section 2 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954), hereinafter in this chapter referred to as the Sales Tax Act,—

- (a) in clause (e), for the expression "Contract", the expression " "Contract" or "Works-contract" " shall be substituted ;
- (b) for the existing clause (o), the following shall be substituted,



namely:—

“(o) “Sale”, with all its grammatical variations and cognate expressions, means every transfer of property in goods (other than by way of mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another in the course of business for cash, or deferred payment or other valuable consideration and includes—

- (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) made in the course of the execution of a contract or works-contract;
- (iii) a delivery of goods on hire-purchase or other system of payment by instalments;
- (iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (v) a supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (vi) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxication), where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration —

and such transfer, delivery or supply shall be deemed to be a sale and the word “purchase” or “buy” shall be construed accordingly;

*Explanation.*—A transfer of property in goods shall be deemed to have been made within the state if it fulfils the requirements of sub-section (2) of Section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956);”;

(c) in clause (p),—

- (i) the existing words “of any goods” occurring between the words “for the sale” and the expression, “less any sum” shall be omitted;
- (ii) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :—  
“provided that in the case of a hire purchase agreement, the market price of the goods on the date on which such goods were transferred under such agreement shall be deemed to be the sale price of the goods;” and
- (iii) after the existing proviso as so substituted, the following new proviso shall be added, namely:—  
“Provided further that the sale price in relation to a works-contract shall be the amount payable in respect of its execution inclusive of the value of all goods and the labour and other charges involved in such execution;” and

(d) in clause (t),—

(i) for the existing expression occurring immediately before the first proviso, the following shall be substituted, namely:—

“ “turnover” means the aggregate amount of sale prices received or receivable for a sale, transfer, delivery or supply by a dealer in any of the ways referred to in clause (o);” and

(ii) in Explanation (i), after the expression “in relation to a contract” and before the expression, “be deemed to be”, the words “or a works-contract” and after the expression “the cost of labour”, the expression “as may be prescribed;” shall be inserted.

4. *Insertion of new section 5-AAA in Rajasthan Act 29 of 1954.*—After Section 5-AA of the Sales Tax Act, the following new Section 5-AAA shall be inserted, namely:—

“5-AAA. *Validation of levy and collection of certain taxes.*—(1) Notwithstanding anything contained in any judgement, decision or order of any court, tribunal or authority, all taxes levied or collected or purported to have been levied or collected under this Act in connection with a supply as referred to in sub-clause (vi) of clause (o) of Section 2 in respect of the period from 2nd February, 1983 to the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 1987 shall, for all purposes, be deemed always to have been validly levied or collected as if the said sub-clause (vi) had been in force at all material times when such tax was levied or collected.

(2) No suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court, tribunal or authority for refund of such tax as has been referred to in sub-section (1) and no court, tribunal or authority shall enforce any judgement, decision or order whereby the amount of any such tax was directed to be refunded.”.

5. *Amendment of Section 5E in Rajasthan Act 29 of 1954.*—In Section 5-E of the Sales Tax Act,—

(a) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(4) Notwithstanding anything contained in Section 5 but subject to the first proviso to sub-section (1) thereof, every dealer, whose turnover includes the turnover relating to sales in respect of the transfer of the right to use any goods as referred to in sub-clause (iv) of clause (o) of Section 2, shall pay tax under this Act on the turnover relating to each occasion of such sales at such rate not exceeding ten percent, as may be notified by the State Government in the official Gazette and different rates of tax may be notified for different goods or classes of goods or different classes of dealers.”; and

(b) the existing sub-section (4) shall be re-numbered as sub-section (5) and for sub-section (5) as so re-numbered, the following shall be substituted, namely :—

“(5) On a notification being issued under sub-section (1) or sub-section (4), no tax in respect of sales referred to in the said sub-sections shall be payable under section 5.”.



6. *Amendment of Section 5-H, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In sub-section (1) of section 5-H of the Sales Tax Act, for the words “ten percent” occurring between the words “at the rate of” and the words “on the amount of tax”, the words “twenty percent” shall be substituted.

7. *Amendment of Section 7AA, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In section 7-AA of the Sales Tax Act, for the expression “rupees ten per day”, the expression “rupees ten per day in the case where tax is required to be paid every month under sub-section (2A) of section 7 and rupees five per day in all other cases” and for the expression “the default”, the expression “the default in the furnishing of such return” shall be substituted.

8. *Amendment of Section 9, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In sub-section (3) of section 9 of the Sales Tax Act, the existing clause (a) and clause (b) shall respectively be re-numbered as clause (b) and clause (c) and before clause (b) as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:—

“(a) such firm, family or association may be assessed to tax payable in respect of the turnover regarding all the goods and disposal of other articles of such firm, family or association as if there was no such dissolution, discontinuance or partition and all the provisions of this Act shall apply accordingly;”.

9. *Amendment of Section 10-B, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In clause (i) of sub-section (1) of section 10-B of the Sales Tax Act, for the existing word “five”, the word “four” shall be substituted.

10. *Amendment of Section 11-B, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In section 11-B of the Sales Tax Act,—

(a) in the Explanation to sub-section (1), between the expression “10A,” and the expression “13 or 14 of this Act:” the expression “12,” shall be inserted; and

(b) for the existing words “one and a quarter percent”, wherever occurring, the words “two percent” shall be substituted and the words “for a period of three months and at one and a half per cent per month thereafter”, wherever occurring, shall be deleted.

11. *Amendment of Section 14, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In sub-section (3) of section 14 of the Sales Tax Act, for the figures “180”, the figures “365” shall be substituted.

12. *Amendment of Section 16, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In clause (h) of sub-section (3) of section 16 of the Sales Tax Act, after the existing expression “demand notice by him;”, the existing word “or” shall be deemed always to have been omitted and the following shall be deemed always to have been inserted, namely:—

“*Explanation.*—An offence under this clause shall be deemed to be a continuing offence until payment is made.; or”.

13. *Amendment of Section 22, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In clause (a) of sub-section (6) of section 22 of the Sales Tax Act, for the words “shall have power to” occurring between the words “Any such Authority or person” and the words “seize and goods”, the word “may” shall be substituted.



14. *Amendment of Section 22-AA, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In section 22-AA of the Sales Tax Act,—

- (a) in the marginal heading, for the existing words “and persons transporting goods”, the words “and dalals” shall be substituted;
- (b) in sub-sections (1), (2) and (3), the words “or any person transporting goods within or outside the State”, wherever occurring, shall be omitted; and
- (c) clause (ii) of the Explanation shall be omitted.

15. *Insertion of new section 22-C, Rajasthan Act 29 of 1954.*—After section 22-B of the Sales Tax Act, the following new section shall be inserted namely :—

“22-C. *Import of goods into the State against declaration.*—(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import, or otherwise receive any goods from outside the State, as notified by the State Government, of the value of Rs. 1,000/- or more for use, consumption or disposal within the State, shall obtain the prescribed form of declaration on payment of prescribed fee from the assessing authority having jurisdiction over the area where his principal place of business is situated or in case there is no such place, where he ordinarily resides:

Provided that where an importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, obtain the prescribed form of declaration and where he fails to obtain such form of declaration, it shall be presumed that such goods have been purchased by such person within the State.

- (2) Such form of declaration shall be carried with the goods and presented at the entry checkpoint alongwith other documents prescribed under section 22-A and the provisions of the said section shall apply to such import.”.

16. *Amendment of Section 23, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In sub-section (2) of section 23 of the Sales Tax Act, for the existing expression “12%”, the expression “24%” shall be substituted.

17. *Amendment of Section 26, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In sub-section (2) of section 26 of the Sales Tax Act, after the existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(cc) the determination of the amount payable to the dealer for the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) made in the course of execution of a contract or works-contract;”.

18. *Amendment of the Schedule, Rajasthan Act 29 of 1954.*—In the Schedule appended to the Sales Tax Act,—

- (a) at serial No. 2, the existing entry “(b) sugarcane” shall be omitted; and

- (b) at serial No. 3, the words “Fresh milk (whether whole or the fat contents of which have been removed or reduced)” occurring in the existing entry shall be omitted.

### CHAPTER-III

#### *Amendment in the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962*

19. *Amendment of Section 3, Rajasthan Act 12 of 1962.*—In Section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Rajasthan Act 12 of 1962), for the expression “6 naye paise” occurring between the expression “computed at such rate, not exceeding” and the expression “per unit as may be fixed”, the expression “ten paise” shall be substituted.

### CHAPTER-IV

#### *Amendment in the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952*

20. *Amendment of the Second Schedule, Rajasthan Act 7 of 1952.*—In the Second Schedule appended to the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 (Rajasthan Act 7 of 1952),—

- (i) at No.1, in column 2, for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted;
- (ii) at No. 2,—
  - (a) in column 1, the existing clauses (a) and (b) shall be omitted; and
  - (b) in column 2, for the existing expressions against clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:—
 

“Five rupees for every hundred rupees, or part thereof, of the value of the Bond subject to a maximum of fifty rupees.”;
- (iii) at No. 3, in column 2, for the words “Thirty rupees”, the word “Fifty rupees” shall be substituted;
- (iv) at No. 4, in column 2, for the words “Five rupees”, the words “Ten rupees” shall be substituted;
- (v) at No. 5, in column 2,—
  - (a) against clause (a), for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted;
  - (b) against clause (b), for the expression “thirty rupees, one rupee”, the expression “One hundred rupees, five rupees” shall be substituted; and
  - (c) against clause (c), for the words “Two rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted;



(vi) at No. 6, in columns 1 and 2, for the existing expressions, the following shall be substituted, namely:—

“6. Agreement relating to the deposit of title-deeds, pawn or pledge i.e. any instrument evidencing an agreement relating to—

(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever, other than a marketable security, or

(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt,—

(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement,—

(i) where the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 1,200/-; Five rupees.

(ii) where it exceeds Rs. 1,200/- but does not exceed Rs. 5,000/-; Fifteen rupees.

(iii) where it exceeds Rs. 5,000/- but does not exceed Rs. 10,000/-; Thirty rupees.

(iv) where it exceeds Rs. 10,000/- but does not exceed Rs. 30,000/-; Eighty five rupees.

(v) where it exceeds Rs. 30,000/- but does not exceed Rs. 50,000/-; and One hundred twenty five rupees.

(vi) where it exceeds Rs. 50,000/-, for every Rs. 10,000/- or part thereof, in excess of Rs. 50,000/-; and Thirty rupees.

(b) if such loan or debt is re-payable not more than three months from the date of such instrument. Half the duty payable under clause (a) for the amount secured.

#### *Exemptions.*

Instruments of pawn or pledge of agricultural produce, if un-attested.

(vii) at No. 7, in column 2, for the words “Thirty-eight rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;

(viii) at No. 8, in column 2, for the words “Thirty-seven rupees fifty paise” occurring against clause (b), the words “Fifty rupees” shall be substituted;



- (ix) at No. 9, in column 2, for the words "Fifteen rupees", the words "Twenty rupees" shall be substituted;
- (x) at No. 10, in columns 1 and 2, for the existing expressions, the following shall be substituted, namely:—

**"10. Articles of Association of a Company,—**

- |       |   |                        |
|-------|---|------------------------|
| (i)   | Where the share capital does not exceed Rs. 1 lac;  | Two hundred rupees.    |
| (ii)  | Where it exceeds Rs. 1.00 lac but does not exceed Rs. 5 lacs;                                 | One thousand rupees.   |
| (iii) | Where it exceeds Rs. 5 lacs but does not exceed Rs. 20 lacs; and                              | Three thousand rupees. |
| (iv)  | Where it exceeds Rs. 20 lacs, for every Rs. 5 lacs or part thereof, in excess of Rs. 20 lacs. | One thousand rupees.   |

***Exemption.***

Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Companies Act, 1955.

- (xi) at No. 12, in column 2, for the words "Thirty seven rupees fifty paise" occurring against clause (b), the words "Fifty rupees" shall be substituted;
- (xii) at No. 15, in columns 1 and 2, for the existing expressions, the following shall be substituted, namely:—

**"15. Bond as defined in sub-section (5) of section 2 not being a debenture and not otherwise provided for by this Act or by the Court Fees Act, 1870 (Central Act 7 of 1870), as adapted to Rajasthan,—**

- |      |   |              |
|------|---|--------------|
| (i)  | Where the amount or value secured does not exceed Rs.100/-; | Five rupees. |
| (ii) | Where it exceeds Rs. 100/-, but does not exceed Rs. 500/-;  | Ten rupees.  |

(xiii) at No.17, in column 2, for the words "Twelve rupees", the words "Fifteen rupees" shall be substituted;

(xiv) at No.18, in column 2,—

(a) against clause (a), for the words "Fifty paise", the words "Five rupees" shall be substituted; and

(b) against clause (b), for the words "Seventy five paise", the words "Five rupees" shall be substituted;

(xv) at No.22, in column 2, for the words "Thirtyfour rupees" the words "Fortyfive rupees" shall be substituted;

(xvi) at No.23, in columns 1 and 2, for the existing expressions, the following shall be substituted, namely.—

"23. Conveyance as defined in sub-section (10) of section 2,—

- |       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| (i)   | Where the market value does not exceed Rs.200/-;  | Fifteen rupees.    |
| (ii)  | Where it exceeds Rs.200/-, but does not exceed Rs.500/-;  | Thirtyfive rupees. |
| (iii) | Where it exceeds Rs.500/-, but does not exceed Rs. 1,000/-;   | Seventy rupees.    |
| (iv)  | Where it exceeds Rs.1,000/-, but does not exceed Rs.10,000/-, for every Rs.500/- or part thereof, in excess of Rs. 1,000/-;   | Fortyfive rupees.  |
| (v)   | Where it exceeds Rs.10,000/-, but does not exceed Rs.25,000/-, for every Rs.500/- or part thereof, in excess of Rs. 10,000/-; | Fiftyfive rupees.  |
| (vi)  | Where it exceeds Rs.25,000/-, but does not exceed Rs.50,000/-, for every Rs.500/- or part thereof, in excess of Rs. 25,000/-; | Seventy rupees.    |
| (vii) | Where it exceeds Rs. 50,000/-, for every Rs. 500/- or part thereof, in excess of Rs. 50,000/-.                                | Eightyfive rupees. |

#### *Exemption.*

Assignment of copy-right by entry made under the Indian Copyright Act, 1957.

(xvii) at No.24, in column 2,—

(a) against clause (i), for the words "Two rupees", the words "Five rupees" shall be substituted; and

- (b) against clause (ii), for the words "Three rupees", the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xviii) at No. 25, in column 2, for the words "Three rupees" occurring against clause (b), the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xix) at No. 25A, in column 2, for the words "Twenty rupees" occurring against clause (b), the words "Twentyfive rupees" shall be substituted;
- (xx) at No. 26, in column 2, for the words "Twenty five rupees" occurring against clause (b), the words "Thirtyfive rupees" shall be substituted;
- (xxi) at No. 28, in column 2, for the words "One rupee", the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xxii) at No. 29, in column 2, for the words "Eight rupees", the words "Ten rupees" shall be substituted ;
- (xxiii) at No. 35, in column 2, against clause (c), for the words "One rupee and fifty paise", occurring after the words "the duty on such lease shall not exceed", the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xxiv) at No. 38, in column 2, for the words "Twentythree rupees", the words "Thirty rupees" shall be substituted ;
- (xxv) at No. 39, in column 2,—
- (a) against clause (a), for the words "Sixtyeight rupees", the words "Eightyfive rupees" shall be substituted; and
- (b) against clause (b), for the words "Two hundred twentyfive rupees", the following shall be substituted, namely:—
- "The same duty as on Articles of Association (No. 10) pertaining to the share capital of the company.";
- (xxvi) at No. 40, in column 2, against clause (c), for the words "One rupee", wherever occurring, the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xxvii) at No. 41, in column 2,—
- (a) against clause (a), for the words "Twentyfive paise", wherever occurring, the words "Five rupees" shall be substituted; and
- (b) against clause (b), for the words "Fifty paise", wherever occurring, the words "Five rupees" shall be substituted;
- (xxviii) at No. 42, in column 2, for the words "Three rupees", the words "Five rupees" shall be substituted ;



(xxix) at No. 43, in column 2,—

- (a) against clause (a), for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted; and
- (b) against clause (b), for the expression “twenty rupees, One rupee”, the expression “thirty five rupees, five rupees” shall be substituted;

(xxx) at No. 45, in column 2, in the proviso,—

- (a) in clause (a), for the words “two rupees and twentyfive paise” occurring after the words “but shall not be less than” the words “five rupees” shall be substituted; and
- (b) in clause (c), for the words “two rupees twentyfive paise” occurring after the words “shall not exceed”, the words “five rupees” shall be substituted;

(xxxi) at No. 46, in column 2,—

- (a) in clause (A),—
  - (i) against sub-clause (a), for the words “Twelve rupees” the words “Fifteen rupees” shall be substituted; and
  - (ii) against sub-clause (b), for the words “Fortyfive rupees” the words “Sixty rupees” shall be substituted; and
- (b) against clause (B), for the words “Twentythree rupees” the words “Thirty rupees” shall be substituted;

(xxxii) at No. 48, in column 2,—

- (a) against clause (a), for the words “Two rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
- (b) against clause (b), for the words “Three rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
- (c) against clause (c), for the words “Twelve rupees”, the words “Fifteen rupees” shall be substituted ;
- (d) against clause (d), for the words “Twentythree rupees”, the words “Thirty rupees” shall be substituted; and
- (e) against clause (f), for the words “Three rupees” occurring before the words “for each person authorised”, the words “Five rupees” shall be substituted;

(xxxiii) at No. 50, in column 2, for the words “Three rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ;

(xxxiv) at No. 54, in column 2, for the words “Forty five rupees”, occurring against clause (b), the words “Sixty rupees” shall be substituted ;

- (xxxv) at No. 55, in column 2, for the words "Thirtyseven rupees fifty paise" occurring against clause (b), the words "Fifty rupees" shall be substituted ;
- (xxxvi) at No. 57, in column 2, for the words "Thirty seven rupees fifty paise" occurring against clause (b), the words "Fifty rupees" shall be substituted ;
- (xxxvii) at No. 58, in column 2,—
- (a) against clause A, for the words "One rupee fifty paise" occurring after the words "shall not exceed", the words "Five rupees" shall be substituted; and
  - (b) against clause B, for the words "twentytwo rupees fifty paise" occurring after the words "but not exceeding", the words "thirty rupees" shall be substituted ;
- (xxxviii) at No. 61, in column 2, for the words "Twelve rupees" occurring against clause (b), the words "Fifteen rupees" shall be substituted;
- (xxxix) at No. 64, in column 2,—
- (a) against clause A, for the words "thirty rupees" occurring after the words "but not exceeding", the words "forty rupees" shall be substituted ; and
  - (b) against clause B, for the words "twentytwo rupees twenty-five paise" occurring after the word "exceeding", the words "thirty rupees" shall be substituted; and
- (xl) at No. 65, in column 2, for the words "One rupee", the words "Five rupees" shall be substituted.

## CHAPTER—V

### Amendments in the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961

21. *Amendment of Schedule II, Rajasthan Act 23 of 1961.*—In Schedule II appended to the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Rajasthan Act 23 of 1961),—

- (i) in article 1, in column 3, for the words "Ten rupees" and the words "Twenty rupees", wherever occurring, the words "One hundred rupees" shall be substituted ;
- (ii) in article 3, in column 3,—
  - (a) against clause (i), for the words "One rupee", the words "Ten rupees" shall be substituted;
  - (b) against clause (ii), for the words "Two rupees", the words "Twenty rupees" shall be substituted;

- (c) in clause (iii),—
- (i) against sub-clause (1) (a), for the words “Ten rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;
  - (ii) against sub-clause (1) (b), for the words “Five rupees”, the words “Twentyfive rupees” shall be substituted;
  - (iii) against sub-clause (2) (a), for the words “Ten rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ; and
- (d) against clause (iv), for the words “Five rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;
- (iii) in article 5, in column 3, for the words “One rupee”, wherever occurring, and for the words “Two rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
- (iv) in article 6, in column 3, for the words “One rupee”, the words “Two rupees” shall be substituted ;
- (v) in article 7, in column 3, for the words “One rupee” and the words “Two rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
- (vi) in article 9, in column 3, for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
- (vii) in article 10, in column 3,—
- (a) against clause (a) (i), for the words “Three rupees”, the words “Twentyfive rupees” shall be substituted ;
  - (b) against clause (a) (ii), for the words “Five rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;
  - (c) against clause (b), for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
  - (d) against clause (c), for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted ;
  - (e) against clause (d) (i), for the words “Five rupees”, the words “Ten rupees” shall be substituted ;
  - (f) against clause (d) (ii), for the words “One rupee”, the words “Five rupees” shall be substituted ; and
  - (g) against clauses (e), (f), (g), (h) and (i), for the words “One rupee”, wherever occurring, the words “Five rupees” and for the words “Two rupees”, wherever occurring, the words “Ten rupees” shall be substituted;



(viii) in article 11, in column 3,—

- (a) against clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i), for the words “One rupee” wherever occurring, the words “Five rupees” and for the words “Five rupees”, wherever occurring, the words “Ten rupees” shall be substituted ;
  - (b) against clause (k), for the words “Two rupees”, the words “Ten rupees” and for the words “Ten rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;
  - (c) against clause (p), for the words “Five rupees”, the words “Twenty five rupees” and for the words “Ten rupees”, the words “Fifty rupees” shall be substituted ;
  - (d) against clause (r), for the words “Twenty five rupees”, the words “One hundred rupees” shall be substituted ;
  - (e) against clause (s), for the words “Two rupees”, the words “Twentyfive rupees”, shall be substituted;
  - (f) against clause (t), for the words “Ten rupees”, the words “Fifty rupees”, for the words “Twentyfive rupees”, the words “One hundred rupees”, and for the words “Fifty rupees”, the words “Two hundred fifty rupees” shall be substituted ;
- (ix) in article 16, in column 3, for the words “One rupee” wherever occurring, the words “Two rupees” and for the words “Two rupees”, the words “Five rupees” shall be substituted ; and
- (x) against the words “Caveat” in the last entry for the words “Ten rupees” occurring in column 3, the words “Fifty rupees” shall be substituted.

एस.आर. भंसाली,  
*Secretary to the Government.*

*Government Central Press, Jaipur.*